भारत में लोकतंत्र या अव्यवस्था

लोकतंत्र की एक विशेष पहचान होती है कि जिन क्षेत्रों में वह जीवन पद्धति में आता है वहॉ सुव्यवस्था संभव है और जहॉ जहॉ सिर्फ शासन पद्धति तक आकर ही रूक जाता है वहॉ अव्यवस्था निश्चित है। दक्षिण एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल, श्रीलंका, इराक, इरान, अफगानिस्तान आदि में जीवन पद्धति में लोकतंत्र न आकर सिर्फ शासन व्यवस्था तक ही सीमित रहा। इन सभी देशों में मौलिक लोकतंत्र की सोच कभी नहीं बनी। इन सबमें आयातित लोकतंत्र ही रहा। परिणाम है अव्यवस्था। लोकतंत्र का परिणाम होता है अव्यवस्था तथा अव्यवस्था का परिणाम होता है तानाशाही। तानाशाही लोकतंत्र का वह अन्तिम पड़ाव मानी जाती है जहॉ जाकर लोकतंत्र भी समाप्त हो जाता है और अव्यवस्था भी समाप्त हो जाती है। भारत आज वैसी ही लोकतांत्रिक अव्यवस्था के दौर से गुजर रहा है।

अव्यवस्था की एक विशेष पहचान होती है कि वहॉ असंगठित समाज पर संगठित गिरोह हावी हो जाता है। सैद्धान्तिक सत्य है कि दो संगठित व्यक्तियों का समूह बीस असंगठित व्यक्तियों पर भारी पड़ता है। यदि ये संगठित व्यक्ति संख्या में दस हो जावें तो ये कई सौ लोगों पर भारो पड़ सकते हैं और इनकी संख्या सिर्फ एक सौ हो जावे तो ये चार पांच हजार तक की असंगठित आबादी पर भारी पड़ेंगे। आज सम्पूर्ण भारत में संगठन बनाने की होड़ मची हुई है। हर व्यक्ति किसी न किसी संगठन की छतरी के नीचे रहने को प्रयत्नशील है क्योंकि वह जानता है कि संगठन उसे सुरक्षा तो देता ही है, साथ में दूसरों को दबाकर आगे बढ़ने में सहायक भी होता है जबकि असंगठित व्यक्ति योग्यता के बाद भी पीछे रहने का मजबूर हो जाता है। संगठनों की यह छीना झपटी ही अव्यवस्था का निर्माण करती है।

भारत में अनेक संगठन ऐसे हैं जो डंके की चोट पर वोटों का भय दिखाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को ब्लैक मेल करते हैं तथा अव्यवस्था फैलाते रहते हैं। इनमें चार संगठन प्रमुख हैं (1) महिला उत्पीड़न के नाम पर (2) हरिजन आदिवासी उत्पीड़न के नाम पर (3) हिन्दू मुसलमान उत्पीड़न के नाम पर (4) महंगाई वृद्धि के नाम पर। ये सभी संगठन समाज सेवा के नाम पर सक्रिय दिखते हैं किन्तु सच्चाई यह है कि ये चारों ही सम्पूर्ण समाज का उत्पीड़न करते रहते हैं।

पिछले दिनों जन्तर मन्तर पर ऐसी ही छीना झपटी का नजारा देखने का अवसर मिला जब बलात्कार की एक आपराधिक घटना को बहाना बनाकर भारत की मुठी भर आधुनिक महिलाओं ने सम्पूर्ण समाज को उनकी आवाज सुनने को मजबूर कर दिया। सारा देश जानता है कि ये महिलाएॅ सिर्फ दो प्रतिशत आधुनिक महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। शेष अठान्नबे प्रतिशत परंपरागत महिलाएॅ इनसे नफरत ही अधिक करतो हैं, प्रेम कम। सारा देश जानता है कि इन दो प्रतिशत आधुनिक महिलाओं ने ही बलात्कार की समस्या को विकराल बनाया अन्यथा परंपरागत समाज व्यवस्था में तो बलात्कार बहुत कम थे। इन आधुनिक महिलाओं ने ही आंदोलन चला चला कर एक ओर तो महिला और पुरूष के बीच की परंपरागत दूरी को घटाते जाने की मुहिम चलाई तो दूसरी ओर विवाह की उम्र बढ़ाकर अथवा वैश्यालय बार बाला आदि पर रोक लगवाकर आवश्यकता और पूर्ति के बीच का अन्तर भी बढ़वा दिया। इन्हीं महिलाओं ने सारे समाज को ब्लैक मेल करके पारिवारिक अनुशासन को भी अधिक स अधिक कमजोर किया। इतना कमजोर कि परिवार अपनी बालिग लड़की को न प्रेम विवाह से दूर रहने की सलाह दे सकता है न ही मोबाइल रखने से ही रोक सकता है। न पारिवारिक अनुशासन और न ही सामाजिक अनुशासन। उपर से लगातार

सम्पूर्ण पुरूष समूह को अत्याचारी अपराधी घोषित करने की मुहिम। इन मुठी भर आधुनिक महिलाओं की संगठित शक्ति का ही प्रभाव है कि सभी राजनैतिक दल इनके समक्ष झुककर इनकी बात मानने को तैयार हैं। इनके कथन में न कोई तर्क है न ही चरित्र। इनके पास सिर्फ एक ही शक्ति है कि ये दो प्रतिशत आधुनिक महिलाएँ एक जुट हैं, संगठित हैं जबकि अन्य महिलाएँ किसी भी रूप में संगठित नहीं।

संगठनों के ब्लैक मेल का दूसरा दृश्य हमें आरक्षण के नाम पर हो रहे ब्लैक मेल में देखने को मिला। हजारों वर्षों से बुद्धिजीवियों ने जन्म के आधार पर स्वयं को सवर्ण घोषित करके सभी अच्छे सम्मान शक्ति या धन के अवसर अपने लिये आरक्षित कर लिये तथा श्रम प्रधान कार्य जन्म के आधार पर एक जाति के लिये आरक्षित कर दिया जिन्हे शूद्र या अवर्ण कहा गया । इन सवर्णो ने इस असामाजिक आरक्षण व्यवस्था का सदा सदा के लिये अपनी आगे आने वाली पीढियो के लिये भी सुरक्षित कर लिया। स्वतंत्रता संघर्ष के समय एक ऐसे ही सवर्ण पुत्र ने मुठी भर अवर्ण बुद्धिजीवियो को संगठित करके स्वयं को सम्पूर्ण शुद्र अवर्ण समूह का प्रतिनिधि बना दिया और अठान्नवे प्रतिशत श्रमजीवियों के नाम पर स्वयं को आरक्षण के लाभ मे हिस्सेदार बना लिया। दनियां जानती है कि स्वतंत्रता के पूर्व आरक्षण के कारण जो परिवार दबे रह गये थे उनका नब्बे बान्नवे प्रतिशत आज तक उन्ही श्रम प्रधान कार्यो तक सीमित है तथा यदि ऐसा ही रहा तो हजारो वर्षो के बाद भी उनकी स्थिति नही सुधरेगी, जबकि समझौता करके सवर्णो से लाभ ले रहे सात आठ प्रतिशत बुद्धिजीवी अवर्णो के जीवन स्तर मे भारी बदलाव आ चुका है। किन्तु अब भी ये तथा कथित आरक्षित बुद्धिजीवी अपने लाभ का कोई भाग कटौती करने को तैयार नहीं। यहां तक कि इन लोगों ने अपनी भारी कमाई का कोई भाग शेष श्रमजीवियों के कल्याण के लिये भी छोडना ठीक नहीं समझा। अत्याचार तो इन लोगो ने अपने आदिवासी भाइयों के साथ यहां तक किया कि इनके संगठित दबाव और प्रभाव से ये अपने गरीब पिछडे आदिवासी भाइयों की जमीन जायदाद कौडियों के मोल खरीदने का अधिकार रखते है। जिस जमीन जायदाद का बाजार मूल्य इनसे पचास गुना तक ज्यादा हो सकता है किन्तु कानून के द्वारा इन्होने अधिकार प्राप्त कर रखा है कि कोई आदिवासी अपनी जमीन जायदाद इन लोगो से अलग किसी अन्य को नही दे सकता ं ऐसे लोगो ने बहुत कम संख्या मे होते हुए भी ऐसा संगठन बना रखा है कि सम्पूर्ण समाज इनकी व्लैक मेलिग के समक्ष झुकने को तैयार रहता है। इन लोगो ने भी अपनी आगे आने वाली पीढियो के लिये आरक्षण के लाभ की व्यवस्था बना ली है। चाहे घुरउ राम की अलगी पीढी को श्रम का उचित मूल्य मिले या न मिले इसकी उन्हे चिन्ता नहीं किन्तु आरक्षण का लाभ ले चुके आदिवासी हरिजन की अगली पीढी को भी आरक्षण का लाभ बन्द नही होना चाहिये। पिछले दिनो आरक्षण का लाभ उठाकर मजबूत हो चुके आरक्षित लोगो ने जिस तरह पदोन्नति मे भी आरक्षण के लिये मुहिम चलाई वह ऐसी ब्लैकमेलिंग का स्पष्ट प्रमाण है। सब जानते है कि नब्बे प्रतिशत अवर्ण तथा आदिवासी श्रमजीवी है तथा उनके श्रमिक जीवन मे श्रम की मांग और मूल्य बढने से ही बदलाव आ सकता है किन्तु कृत्रिम उर्जा का मूल्य न बढे ऐसे श्रम विरोधी प्रयत्नो में भारत के सवर्णो के साथ साथ ये अवर्ण बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। आज मायावती और रामविलास पासवान सरीखे लोग भी एक ओर तो अपनी बुद्धिजीवी संतानो के लिये आरक्षण के नये नये मार्ग खुलवाने मे आंदोलन रत है तो दूसरी ओर यही लोग डीजल बिजली पेट्रोल गैस मूल्य वृद्धि के खिलाफ भी लगातार

आवाज उठाते रहते है जिसने श्रम की मांग और मूल्य को लगातार बढने से रोक रखा है। अभी अभी जयपुर साहित्य सम्मेलन मे आशिषनंदी का बयान सही था या गलत यह अलग विषय है, किन्तु जिस तरह इन संगठित गिरोहो ने आशिष नंदी के खिलाफ वातावरण बनाया वह अवश्य ही निन्दनीय है। इन मुठी भर लोगो ने जिस तरह ब्लैक मेल करके राज्य सभा मे राजनैतिक दलो को बिल के पक्ष मे मजबूर कर दिया तथा लोक सभा मे भी सफल होने के प्रयत्न जारी है वे इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि मुठी भर संगठित समूह अपने से दस बीस गुना बडी असंगठित आबादी को ब्लैकमेल कर सकती है।

इसी तरह पिछले दिनो भारत क गृहमंत्री श्री सुशील शिन्दे ने एक भाषण के अन्तर्गत यह कह दिया कि संघ परिवार हिन्दू आतंकवाद की ट्रेनिंग देता है। बात किसी भी रूप से असत्य नहीं थी संघ आतंकवाद का समर्थक नही है और न ही आतंकवाद मे शामिल है किन्तु संघ परिवार संगठित रूप मे उग्रवाद का समर्थक भी है और सक्रिय भी। उग्रवाद समर्थक कार्यकर्ता यदि अपनी सीमाएं तोडकर आतंकवादी हो जावे तो क्या संध पर इसके छीटे नही पडेंगे? आम तौर पर सिख और मुसलमान और कम्युनिस्ट स्वभाव से ही उग्रवादी माने जाते है। उग्रवाद का आतंकवाद को दिशा मे बढना ज्यादा संभव हाता है। हिन्दू चूंकि शान्ति प्रिय माना जाता है इसलिये कोइ हिन्दू तब तक आतंकवादी नही हो पाता जब तक वह संघ विश्व हिन्दू परिषद शिवसेना जैसे उग्रवादी संगठनो के साथ जुडकर हिन्दुत्व की मूल अवधारणा से दूर न चला गया हो । संघ परिवार और भाजपा को गृहमंत्री के बयान पर आपत्ति क्यो है? यदि किसी व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस कोई आराप लगाती है तो उसके पक्ष मे आवाज उठाने के तीन कारण मान्य है 1 आप आरोपी के वकोल हो 2 आपका आरोपी से पारिवारिक या मित्रवत संबंध हो 3 आपको जानकारी हो कि आरोपी निर्दोष है और उसे गलत फंसाया गया है । यदि पहले और दूसरे स्तर के लोग आरोपी का पक्ष ले तो मान्य है किन्तु यदि तीसरे आधार पर किसी आरोपी का समर्थन व सहयोग किया जाय तो आरोपी के दोषी सिद्ध होने पर आपके विरूद्ध भी प्रश्न उठेगे हो । प्रज्ञा पुरोहित असीमानन्द के पक्ष मे किसी हिन्दू ने कोई आवाज नही उठाई। फिर संघ भाजपा शिवसेना उसके समर्थन मे क्यो आगे आये। क्या इन्हे जानकारी है कि वे निर्दोष है? यदि नहो है ते चुप क्यो नही रहे जैसे अन्य हिन्दू चुप रहे । अब लगभग विश्वास हो चला है कि ये लोग पूरी तरह निर्दोष नही है तो आम भारतीय को कहने का अधिकार है कि संघ भाजपा का मार्ग गलत है। यदि समाज खुलकर इस्लामिक नक्सलवादी आतंकवाद के प्रति नरम रूख के लिये कांग्रेस की आलोचना कर सकता है तो हिन्दू आतंकवाद के विरूद्ध आलोचना से डर कैसा?

इसी तरह यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि सम्पूर्ण भारत की अर्थ व्यवस्था मध्य वर्ग उच्च वर्ग के नियंत्रण मे है। गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, छोटे किसानों को छोडकर शेष सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, शहरी, सम्पन्न, बडे किसान मिलकर संगठित रूप से आर्थिक मामलों मे गरीब ग्रामीण श्रमजीवी छोटे किसान के विरूद्ध षडयंत्र करते रहते है। जब भी कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि हुई, ये सारे लोग सडको पर उछल उछल कर मूल्य वृद्धि का विरोध करते दिखते है। सब जानते है कि कृत्रिम उर्जा श्रम की प्रतिस्पर्धी है। सब यह भी जानते है कि कृत्रिम उर्जा बुद्धिजीवी पूंजीपति की सहायक है। सब जानते समझते हुए भी ये सब लोग पूरी ताकत लगाकर इनकी मूल्य वृद्धि का विरोध करते है। हद तो तब हो जाती है जब ये बुद्धिजीवी पूजीपतियों के पोषक वार्षिक मुदास्फीति की तुलना

मे भी कृत्रिम उर्जा के मूल्यो के पुनर्निधारण तक मे चिल्लाना शुरू कर देते है। दस वर्षो मे रेल किराया मुद्रा स्फीति की तुलना मे सवा दो गुना हो जाना चाहिये था। अभो थोडा सा किराया बढा तो पेशेवर नेताओ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी तो अनावश्यक चिल्लाने का लिये जगत प्रसिद्ध है ही किन्तु माया मुलायम ने भी रेल किराया वृद्धि का यह समझ कर विरोध किया कि कहीं चुप रहने से मध्य वर्ग नाराज न हो जाय।

साफ दिखता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत मे मंहगाई लगातार घटी है । आम लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। आर्थिक विषमता बढी है। किन्तु एक षडयंत्र के अन्तर्गत मंहगाई के विरूद्ध हल्ला किया जाता है। मध्य वर्ग मंहगाई के खिलाफ आवाज उठाता है विपक्ष उसका समथन करता है और सत्ता उसकी रोकथाम का आश्वासन देती है। स्पष्ट है कि मध्य वर्ग संगठित है और निम्न वर्ग असंगठित।

यदि पूरे भारत के राजनैतिक परिदृष्य का अध्ययन करे ता आप पायेंगे कि इन संगठित समूहो से सभी राजनैतिक दल भयभीत रहते है चाहे वे सत्ता मे हो या विपक्ष मे। आधुनिक महिलाओं के संगठित हो हल्ला से सभी दल इस सीमा तक भयभीत दिखे कि सबमे उनका समर्थन प्राप्त करने की हेाड लग गई। विपक्ष समाज मे हो हल्ले मे शामिल दिखा तो सरकार भी जस्टिस वर्मा आयोग बनाकर इस मांग के औचित्य पर सहमत हो गई । जातिवाद के प्रोत्साहन पर भी विपक्ष और सरकार की सोच एक समान ही दिखी। साम्प्रदायिकता के मामले मे भी दोनो का रूख स्पष्ट है। कांग्रेस संगठित साम्प्रदायिक मुसलामाना को अपने साथ जोडकर रखना चाहती हैं तो भाजपा संगठित हिन्दू संगठनो को । आर्थिक मामलों मे भी सत्ता या विपक्ष न मंहगाई के विषय मे अलग अलग है न ही कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि के। सरकार बार बार कहती है कि कृत्रिम उर्जा वृद्धि उचित नही है किन्तु उसकी मजबूरी है। यदि इन दोनो गुटो का कोई सदस्य यदि गल्ती से भी कोई सच बात मुह से निकाल दे तो सब मिलकर उसे चुप करा देते ह । मंहगाई के मामले मे वेणो प्रसाद वर्मा या वित मंत्री चिदम्बरम को जिस तरह डांट खानी पडी, संघ के मामले मे गहमंत्री को डांटकर चुप कराया गया, आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा भी अपने लोगो को डाट डपट कर चुप रख रही है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय लोकतंत्र पूरी तरह अव्यवस्था का शिकार है जिसमे मनमोहन सिंह को छोडकर अन्य सभी दल सभी नता अपनी अपनी राजनैतिक रोटी सेकन का प्रयास कर रहे है। सभी राजनेताओ की यह विशेषता होती है कि वे समाज को वर्गो मे बाटकर वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष को बढाते रहते है और खद विचौलिये बनकर उनके टकराव का लाभ उठाते है। कोई महिला भले ही अपने प्रेमी से मिलकर अपने पति के कई टूकडे कर दे अथवा कोई साम्प्रदायिक हिन्दू किसी शरीफ मुसलमान को भले ही गाली दे दे अथवा कोई आदिवासी हरिजन नेता भले ही किसी गरीब सवर्ण को कितना भी अपमानित कर द तो कोई बात नही । सामान्यतया न कोई महिला कुछ बोलती है न कोई हिन्दू या मुसलमान न कोई हरिजन आदिवासी । वास्तव मे तो ये संगठित गिरोह ही तिल का ताड बनाते है। सभी राजनेताओ की यह भी विशेषता होती है कि वे समस्याओ का कुछ ऐसा समाधान करते है कि जिससे किसी नई समस्या का विस्तार हो। दुनियां जानती है कि यदि स्त्री और पुरूष के बीच की दूरी घटेगी तो छेडछाड और बलात्कार बढेंगे, यदि समाज मे उग्रवाद बढेगा तो आतंवकाद का विस्तार उसका स्वाभाविक परिणाम है, यदि किसी जाति विशेष को विशेष अधिकार दगे तो जातीय

संघर्ष उसका परिणाम होगा तथा यदि मुद्रा स्फीति बढेंगी तो वस्तुएं मंहगी होगी ही तथा यदि कृत्रिम उर्जा के मूल्य कम बढे तो श्रम शोषण होगा ही। आज तक दुनियां मे कोई ऐसा तरीका नही निकला जिसमे विवाह की उम्र बढाई जाय और बलात्कार घटे, घाटे का बजट बने और मूल्य वृद्धि न हो, समाज मे हिंसा के प्रति प्रोत्साहन हो और आतंकवाद घटे या मशीनों का प्रयोग बढे और श्रम प्रभावित न हो। यदि कोई तरीका हो तो बताने की कृपा करें। एक तरफ तो समस्याएं पैदा करना और दूसरी तरफ अपने दलालों से जंतर मंतर पर हल्ला करा करा कर समाधान के लिये अलग अलग आयोग बनाना एक सोची समझी रणनीति का ही भाग है।

यदि भारत मे अव्यवस्था बढती है तो तानाशाही के प्रति आम नागरिकों का विश्वास बढेगा। क्योकि अव्यवस्था का समाधान तानाशाही से ही संभव है। पूरे भारत मे मनमोहन सिह नीतिश कुमार की तुलना मे नरेन्द्र मोदी पी चिदम्बरम जैसो की बढती मांग से यह बात और ज्यादा स्पष्ट होती है कि भारत का जन मानस अव्यवस्था की जगह तानाशाही की तरफ झुक रहा है। भारत की जनता लम्बे समय तक अव्यवस्था नही झेल सकती जबकि सभी राजनैतिक दल, तथा कथित समाजिक संगठन भी अव्यवस्था के समाधान की जगह उससे लाभ उठाने मे ही ज्यादा रूचि रखते है। मनमोहन सिंह जी ने आशा की एक किरण जगाई थी किन्तु सभी राजनैतिक सामाजिक संगठनों ने एक जुट होकर मनमोहन सिंह से मुक्त होने की कोशिश की। फिर भी मनमोनह सिंह का अकेले संघर्ष करना कहीं न कही असंगठित समाज का उनके प्रति विश्वास का परिचायक है। दो हजार चौदह मे मनमोहन सिंह की जगह फिर से लोकतांत्रिक अव्यवस्था का दौर आता है या तानाशाही व्यवस्था का यह तो अभी स्पष्ट नही है। देखिये कि आगे क्या होता है।

जस्टिस वर्मा आयोग न्याय के सुझाव या वकालत

वैसे तो सम्पूर्ण विश्व की ही राजनैतिक व्यवस्था समाज को धर्म जाति, भाषा, क्षेत्रीयता , उम्र, लिंग आदि आधारो पर बांटकर स्वयं को बिल्लियों के बीच बन्दर की भूमिका मे स्थापित रखती है किन्तु भारत मे तो सम्पूर्ण व्यवस्था इस बांटो और राजकरो की नीति को ही सर्वाधिक महत्व पूर्ण मानती है। इस राजनैतिक व्यवस्था मे राजनेताओं के साथ साथ न्यायपालिका, मीडिया स्वयं सेवी संगठन, एन जी ओ साहित्यकार धर्मगुरू आदि वे सब लोग शामिल हो जाते है जो स्वयं को संचालक आर शेष समाजको संचालित मानते है। इन सबकी अपस मे इतनी मिली भगत होती है कि ये चाहे जब भी अवसर पावें किन्तु समाज के विभाजन और टकराव मे सहायता करने का कोई अवसर हाथ से नही जाने देते।

अभी जंतर मंतर पर कुछ महिलाओं ने हो हल्ला मचाया । बाद मे इस हल्ले मे कुछ नवयुवक भी शामिल हो गये । तुरन्त ही सरकार सक्रिय हो गई। सरकार ने आनन फानन मे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मूख्य न्यायाधीश जस्टिस वर्मा के नेतृत्व मे एक जांच आयोग बना दिया। आयोग ने भी बहुत तेज गति से काम किया। वर्षो का काम एक माह मे ही पूरा कर दिया।

मीडिया तथा स्वयं सेवी संगठनो ने वर्मा आयोग की प्रशंसा कर दी। सरकार पर समाज तोडक पृष्ठभूमि के कुछ अन्य घटक दबाव डालेंगे और तीव्र गति से काम करते हुए सरकार अगले सत्र मे कोई बिल लाकर वर्मा आयोग की संस्तुतियों के कुछ अंश लागू कर देगी। आंदोलन कारी महिलाओं, सरकार, मीडिया, स्वयं सेवी संगठन, विपक्षी राजनेता, न्यायाधीश, तथा स्वयं वर्मा जी संतुष्ट हो जायेंगे कि इन सबने मिलकर समाज को महिला और पुरूष मे बांटकर वर्गसंघर्ष की ओर बढाने का एक चरण सफलता पूर्वक आगे बढा दिया है। अब ये सब इस मुद्दे से हटकर किसी अन्य समाज तोडक मुद्दे की प्रतीक्षा करते रहेंगे और ऐसा कोई मुद्दा हाथ मे आते ही मिलजुलकर सामाजिक एकता पर टूट पडेंगे।

पिछले दिनों ऐसे ही समाज तोडक मुद्दे पर सलाह देने के लिये वर्तमान व्यवस्था ने जस्टिस जे एस वर्मा को नियुक्त किया था और जस्टिस वर्मा ने पूरी इमानदारी से व्यवस्था के उद्देश्यो के अनुरूप अपनी रिर्पोट दे दी।जस्टिस वर्मा द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट के सभी महत्वपूर्ण अंशो को आप पढ जाइये। एक भी लाइन आपको ऐसी नही मिलेंगी जहां आपको परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था के मजबूत होने का कोई सुझाव मिले । हर जगह समाज व्यवस्था को कमजोर करके महिला पुरूष वर्ग भेद विस्तार के एक से बढकर एक सुझाव मिलेंगें। पूरा भारत जानता है कि आज व्यक्ति परिवार और समाज के बीच का संतुलन परिवार और समाज को कमजोर करके व्यक्ति को मजबूत कर रहा है। वर्मा आयोग की हर लाइन इस संतलन को व्यक्ति के पक्ष मे और ज्यादा बिगाडने का काम करेगी। वर्तमान व्यवस्था तो ऐसा चाहती ही रही है।

वर्मा आयोग ने सिफारिश की है कि पति पत्नी के बीच भी शारीरिक संबंध बनाने के लिये पत्नी की सहमति आवश्यक होगी। पता नही ऐसी सहमति कैसे संभव और व्यावहारिक है? यह भी समझ से बाहर हे कि ऐसे सुझाव का क्या और कितना औचित्य है? यदि पत्नी ने शिकायत कर दी कि पति ने बिना सहमति के सहवास किया है तो वह कार्य अपराध माना जाना चाहिये। ऐसा बेमेल सुझाव वर्मा आयोग का है। भारत जैसे देश मे जहां महिलाओं द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने तक की घटनाएं लगातार बढ रही है वहां महिलाओ को दिया गया यह कानूनी अधिकार दुष्ट प्रवृत्ति महिलाओ के लिये अत्याचार का साधन ही अधिक बनेगा और सुरक्षा का माध्यम कम। हमने दहेज को एक अधिकार के रूप मे देकर परिणाम देख लिये है फिर भी वर्मा जी यह नया प्रयोग क्यो कर रहे है, पता नही।

एक दूसरा सुझाव है कि सभी विवाह सरकार के पास अनिवार्य रूप से पंजीकृत होंगे। एक ओर तो हमारे देश की न्यायपालिका ने लिव इन रिलेशनशिप को व्यवस्था का अंग घोषित कर दिया है तो दूसरी ओर अपंजीकृत विवाहित स्त्री पुरूष के विवाह को अवैध मान लिया जायगा। क्या कभी आयोग ने सोचा कि दोनो एक दूसरे के विपरीत है। यदि विवाह पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिये तो लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण क्यो नही होना चाहिये।

वर्मा आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि नाबालिग द्वारा सहमत सेक्स भी अपराध बनाना चाहिये। स्पष्ट है कि सेक्स एक प्राकृतिक आवश्यकता है। यदि सेक्स की भूख जोर मारती है तो उसे किसी कानून के भय से नही रोका जा सकता। हो सकता है कि आयोग के लोग उम्र के प्रभाव से शिथिल इन्द्रिय हो गये हो अथवा अति उच्च संस्कारो के कारण उन्हे ऐसा अनुभव न आया हो किन्तु यह सच है कि आयोग द्वारा निश्चित उम्र के नीचे के सेक्स संबंधो के कडाई से

रोकना अपराधो की एक ऐसी बाढ लायगा जो सम्पूर्ण समाज के लिये एक समस्या बनेगा। मुझे स्वयं का अनुभव है कि आज से अठावन वर्ष पूर्व मेरा विवाह सोलह वर्ष की उम्र मे न हुआ होता तो मै स्वयं कई प्रकार के सेक्स अपराधो मे फंसकर फांसी पर चढा दिया गया होता। उसके बाद के अठावन वर्षो के सामाजिक वातावरण ने तो इस आवश्यकता को सोलह से भी कम किया है । एक ओर तो तीन से लेकर आठ वर्ष तक की बच्चियो के साथ बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ रही है तो दूसरी ओर हमारी व्यवस्था और हमारे आयोग सोलह सत्रह वर्ष की बालिग लडकियों के यौन की सुरक्षा के लिये प्रयत्नशील है। अच्छी अच्छी महिलाएं बलात्कार की शिकार हो रही है और वैश्याओ के लिये यह व्यवस्था बहुत चिन्तित है। समझ मे नही आता कि ये लोग ऐसा भूल से कर रहे है या जानबूझकर। आयोग को चाहिये था कि वह विवाह की उम्र घटाती, बाल विवाह को छूट देती, वैश्यालयो को छूट देती, सहमत सेक्स की उम्र सोलह से घटाकर चौदह करने का सुझाव देती। किन्तु उसने तो ऐसा बेतुका सुझाव दिया, जिसका प्राकृतिक आवश्यकताओं से दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे आयोग कानून की ही भाषा की विद्वान हो किन्तु समाज शास्त्र का उसे कोई ज्ञान न हो।

आयोग ने इस बात पर गंभीरता पूर्वक सोच विचार करना उचित नहीं समझा कि बाल अपराधो की उम सीमा क्या हो। पहले सोलह वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे बाल अपराध से बाहर माने जाते थे। धीरे धीरे सोलह से कम उम्र के बच्चो मे भी अपराध भावना बढने लगी। सामाजिक वातावरण भी अपराध भाव जागृत करने मे सहायक हुआ। बाल अपराध वृद्धि के खतरो को देखते हुए सरकार को चाहिये था कि वह सोलह की उम्र को घटाकर चौदह करती किन्तु आश्चर्य है कि हमारे राजनेताओ ने लम्बे समय से चली आ रही सोलह वर्ष की उम्र को अठारह कर दिया। नासमझी मे किया अथवा किसी चालाकी से यह तो वे जाने लेकिन किया अवश्य इतना हम सब जानते है । वर्मा आयोग को चाहिये था कि ऐसे नासमझ निष्कर्षो की भर्त्सना करते हुए उम्र को चौदह तक ले जाने का सुझाव देता किन्तु आश्चर्य कि आयोग ने इस विन्दु को छोडकर आगे बढना ही ठीक समझा।

लोहिया जी ने कहा था कि बलात्कार के अतिरिक्त स्त्री पुरूष के बीच के अन्य प्रकरणो को गंभीर अपराध से बाहर कर देना चाहिये। मै भी शुरू से ही इस मत का रहा हूॅ । मेरे विचार मे यौन शोषण शब्द स्वयं मे ही भ्रामक शब्द है । पता नही कि शोषण अपराध कैसे हो गया जबकि किसी भी प्रकार का शोषण अनैतिक होता है, असामाजिक होता है, अपराध नहीं। वर्षो साथ साथ रहकर सहमत सेक्स को भी शोषण कहकर अपराध कहना स्वयं मे गलत सोच है। मामूली छेडछाड या मौखिक प्रस्ताव को भी गंभीर अपराध बनाने का आयोग का प्रस्ताव बिल्कुल ही बेंतुका है। साथ ही यह भी विचार करना चाहिये था कि किसी सुरक्षित सतर्क महिला आर खुली महिला के साथ छेडछाड मे भी अपराध की गंभीरता की मात्रा बदलती है। अपने घर मे तिजोरी मे बन्द सोने के हार की चोरी और सडक किनारे खुले मे रखे सोने के हार की चोरी एक समान अपराध होते हुए दोनो की गंभीरता मे अंतर स्वाभाविक है। खुले समाज की व्यवस्थाएं बन्द समाज व्यवस्थाओ की अपेक्षा अधिक लचीली होनी चाहिये । आयोग के लोग एक ओर तो बन्द समाज को खुले समाज मे बदलने हेतु भी प्रयत्नशील है तो दूसरी ओर बन्द समाज के नियम कानूनों को खुले समाज मे उसी तरह या और जटिल स्वरूप मे रखना चाहते है जो बिल्कुल ही गलत है। बन्द समाज व्यवस्था

मे सेक्स एक संवेदनशील मुद्दा था । इसके बाद भी प्राचीन काल मे वैश्यावृत्ति, देवर भाभी संबंध सेक्स झुधा पीडित व्यक्ति को सेक्स दान, नियोग, बहु विवाह जैसी अनेक व्यवस्थाएं प्रचलित थी। राजा तो विशेष मामलों को छोडकर दखल देता ही नही था। अब खुले समाज मे सेक्स की संवेदनशीलता को चरम बिन्दु की दिशा मे ले जाने का क्या औचित्य है यह समझ से परे है।

आयोग ने खाप पंचायतो की भी एकपक्षीय आलोचना की है। स्पष्ट है कि अपराधो को रोकने मे समाज की भूमिका शासन से भी ज्यादा कारगर होती है। जब से सरकार ने समाज की भूमिका को नकार कर अपना हस्तक्षेप बढाया है तब से अपराधो की स्थिति ज्यादा से ज्यादा खराब ही हुई है। आठ सौ वर्षो की गुलामी के कारण खाप पंचायतों मे भी कुछ विकृतियां स्वाभाविक है जिन्हे या तो जनजागरण के द्वारा ठीक किया जाना चाहिये या विशेष परिस्थितियो मे कानूनी हस्तक्षेप द्वारा। क्योकि कुल मिलाकर खाप पंचायत व्यवस्था समाज की सहायक अधिक और समस्या विस्तार की कम रही है। जस्टिस वर्मा आयोग ने खाप पंचायतों के खिलाफ टिप्पणी करते समय इस विचार का उल्लंघन किया है। सरकार और समाज की व्यवस्थाओं को एक दूसरे का पूरक होना चाहिये, न कि छीना झपटी वाला। आयोग की अनुशंसाओं से स्पष्ट आभाष होता है कि आयोग राजनैतिक व्यवस्था के पक्ष मे ऐसी छीना झपटी मे सहायक हो रहा है जो ठीक नही। खाप पंचायतो का स्वरूप भी बदला जा सकता है। कमियां भी दूर की जा सकती है किन्तु उन्हे शत्रु मानना उचित नहीं है।

आयोग ने पुलिस व्यवस्था की भी गंभीर आलोचना की है। सच्चाई यह है कि भारत के न्यायधीशो का ऐसा स्वभाव ही बन जाता है कि वे पुलिस व्यवस्था की कटु आलोचना करें। न्यायपालिका स्वयं को ओवर लोडेड होने की स्थिति मे तो बीस बीस वर्ष तक मुकदमे लटका देती है अथवा फास्ट ट्रैक या लोक अदालत जैसे मार्ग निकाल लेती है किन्तु पुलिस भी ओवर लोडेड है यह बात न्यायपालिका भूल जाती है। न्यायपालिका ने तो घर बैठे एक टिप्पणी कर दी कि इतने चेक पोस्ट होने के बाद भी गांडी का निकलना पुलिस की लापरवाही है। पुलिस ने बेरियरो पर कुछ ज्यादा चेकिंग शुरू की तो सडके जाम होने लगी। मैने पिछले दिनो स्वयं ऐसे जान के कारण पुलिस विभाग के प्रति नाराजगी व्यक्त की जबकी सच्चाई यह थी कि वैसा करना पुलिस की मजबूरी थी। पुलिस के व्यक्तियो की समीक्षा और आलोचना तो उचित है किन्तु पुलिस विभाग की आलोचना बिल्कुल ही गलत है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बार एक दिन के लिये न्यायाधीशो को पुलिस का काम देकर देखा जाय तब उन्हे पता चलेगा कि कुर्सी पर बैठे बैठे हुकुम चलाने और फील्ड मे पुलिस के काम करने मे क्या अंतर है।

मुझे एक बात और समझ मे नही आई कि एक ओर पुलिस विभाग के विरूद्ध चारो तरफ से आलोचनाओं का अम्बार लगा हुआ है तो दूसरी ओर सब लोग पुलिस विभाग पर और ज्यादा से ज्यादा वजन दे रहे है। यदि हमारे किसी कार्यकर्ता के पास बहुत ज्यादा काम पेंडिग है तो उसे और काम देना किसी तरह उचित नही। यदि हमे अपने किसी कार्यकर्ता की नीयत पर शक है तो उसे और ज्यादा अधिकार देना भी गलत होगा। आयोग की नजर मे पुलिस निष्क्रिय है या भ्रष्ट है या दोनो ही है । ऐसी हालत मे आयोग ने यदि पुलिस विभाग को कुछ नये नये मामलो मे हस्तक्षेप का दायित्व देने की सिफारिश की है तो यह एक गंभीर बात है। पुलिस के काम घटाइये । उसके पावर घटाइये। इस तरह पुलिस को ज्यादा दायित्व देने से तो लगता है कि

गाली देने के लिये और स्वयं को पाक साफ बनाये रखने के लिये बलि के बकरे के रूप मे सक्रिय पुलिस विभाग बनाकर रखा गया है कि जब भी किसी को अपना गुस्सा उतारना हो तो पुलिस तैयार है और जब भी किसी को नये दायित्व सौपना हो तब भी पुलिस तैयार है। चाहे उसकी क्षमता हो या न हो।

आयोग ने फास्ट ट्रैक की बात कही है। यदि बलात्कार के मुकदमे फास्ट ट्रैक को गये तो स्वाभाविक है कि अन्य गंभीर मुकदमे और पिछडेगे। नक्सलवाद आतंकवाद नकली दवा निर्माण जैसे गंभीर मुकदमो के निर्णय और देर से होगे। मैने आज ही पढा है कि असम की एक जेल मे एक कैदी चौवन वर्षो से फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है। ललित नारायण मिश्र हत्या कांड का निर्णय कब आयेगा पता नही। लेकिन यदि आयोग की बात मान ली गयी तो अब चौवन वर्ष की जगह साठ वर्ष तक उसे प्रतीक्षा करनी होगी। आयोग को सिफारिश करनी चाहिये कि सभी प्रकार के गंभीर आपराधिक प्रकरण फास्ट ट्रेक ट्रायल किया जाय तथा जुआ शराब वैश्यावृत्ति आदिवासी हरिजन दहेज बालविवाह कन्या भ्रूण हत्या जैसे गैर कानूनी कार्य सामान्य कोर्ट से संचालित हो। इससे ये अनावश्यक केश भले ही पिछडते रहे किन्तु आवश्यक केश त्वरित न्यायालय से निपट जायेगे। दण्ड की मात्रा बढाने का सुझाव आयोग ने दिया` जो गलत है । भूखे व्यक्ति ने रोटी चुराई और भरे पेट ने मिठाई चुराई मे बहुत फर्क करना चाहिये। साधारण बलात्कार और सोचे समझे बलात्कार को एक श्रेणी मे नही रखा जा सकता ।

इसी तरह जो व्यक्ति न्यायालय मे सच बताकर अपराध स्वीकार करे उसकी अपेक्षा झूठ बोलकर दण्ड से बचने का प्रयास करने वाले को कम से कम दो गुना अधिक दण्ड देना चाहिये। मुल्जिम का पूरा और विस्तृत बयान प्रारंभ मे ही ले लेना चाहिये । संभव है कि मुकदमो की संख्या मे गिरावट आयगी । किसी गंभीर जमानत पर सुधरने के अवसर का भी प्रयोग करना चाहिये। दहेज म भी फांसी और कन्या भ्रूण हत्या मे भी फांसी और हर प्रकार के बलात्कार मे भी आजीवन कारावास जैसी मांग समस्या का समाधान कम और विस्तृत ज्यादा करती है।

मैने आयोग के कुछ मुख्य मुख्य सुझावो को पढा और सुना। मुझे लगा कि सुझाव किसी न्यायाधीश के न होकर किसी वकील जैसे है जिसने अपने पक्षकार के पक्ष मे सुझाव दिये है। सच्चाई यह है कि भारत की वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था को अधिक से अधिक गुलाम भी बनाकर रखना चाहती है तथा उसे वर्ग संघर्ष मे भी उलझाकर तोड देना चाहती है। वर्तमान महिला प्रकरण भी व्यवस्था के उद्देश्य का ही एक भाग है। आयोग को चाहिये था कि वह वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करते जाने की नीयत के बीच एक तटस्थ न्यायाधीश की भूमिका का निर्वाह करती किन्तु वह तो ऐसी तटस्थ भूमिका के विपरीत वर्तमान व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के सुझाव देकर एक वकोल की भूमिका अपना ली है। लाचार होकर मुझे भी समाज की ओर से इस व्यवस्था के खिलाफ वकालत के लिये खडा होना पडा हैं। मै मानता हूॅ कि मैने भी कोई तटस्थ भूमिका न अपना कर समाज के पक्ष मे एक पक्षीय वकालत की है किन्तु विचार मंथन को आगे बढाने उद्देश्य से मुझे यह आवश्यक दिखा । आशा है कि वे वकीलो के बीच बहस को कुछ अच्छे परिणाम होंगे।

श्री ठाकुर दास बंग और लोक स्वराज्य

प्रसिद्ध गांधीवादी, स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी तथा लोक स्वराज्य मंच के संस्थापक ठाकुर दास जी बंग का पिछले दिनो करीब पंचान्नवे वर्ष की उम्र म निधन हो गया। श्री बंग के निधन से उस गांधीवादी पीढी मे कोई बचा नही दिखता जिसने गांधी जी के साथ रहकर स्वतंत्रता संघर्ष मे कोई अग्रणी भूमिका निभाई हो।

ठाकुर दास बंग एक ऐसे गांधीवादी थे जो संगठन के उपर विचारो को महत्व देते थे। उन्होने गांधो के बाद विनोबा के कार्यो की गुण दोष के आधार पर समीक्षा की। बंग एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होने अनुशासन भी कभी नही तोडा और सिद्धान्त भी कभी नही छोडा।

गांधी जी संघर्ष शील रहे और विनोबा जी, गांधी भक्त। बंग जी न गांधी भक्त रहे, न विनोबा भक्त। विनोबा जी ने गांधी का शराब बंदी, गो हत्या बंदी, जैविक खेती , खादी , ग्रमोधोग, ब्रम्हचर्य आदि को अधूरा कार्य मानकर इसके विस्तार मे जीवन भर लगे रहे । बंग जी राष्ट्रीय स्वराज्य को गांधी का अधूरा कार्य समझकर लोक स्वराज्य को पहला कार्य मानते थे। किन्तु बंगजी के मन मे कभी भी नेतृत्व की इच्छा नही रही। यही कारण है कि उन्होने लोक स्वराज्य के लिये विनोबा जी सहित अन्य साथियो को समझाने का तो काम किया किन्तु कभी अनुशासन की सीमा नही तोडी। सन चौहत्तर मे ज्योही जय प्रकाश जी ने लोक स्वराज्य की दिशा पकडी त्योही बग जी जेपी के साथ हो लिये अैर अन्त तक रहे। सन सतहत्तर की सरकार के बाद भी जब नयी सरकार लोक स्वराज्य को भूल गई तो बंग जी दुखी रहे। जेपी और विनोबा के निधन के बाद बंग जी ने मनमोहन चौधरी सिद्धराज ढढा आदि के साथ मिलकर सन नब्बे के आस पास लोक स्वराज्य सघ बनाया। तत्काल ही रूढिवादी विनोबा भक्तो ने इस प्रयत्न का विरोध किया। बंग जी सिद्धराज जी आदि ने बहुत समझाया किन्तु सत्ता सुख भोगी लोगो ने एक न सुनी। बंग जी पूरी तरह अनुशासन प्रिय भी थे। उन्होने लोक स्वराज्य संघ को भंग कर दिया। फिर भी बंग जी ने हार नही मानी। उन्होने पेटे जी तथा कुछ अन्य साथियो के साथ रामानुजगंज से लोक स्वराज्य संघर्ष की नीव रखी। बंग जी के इस प्रयत्न का पहला विरोध रामचंद्र जी राही की ओर से हुआ। बंग जी को मैने कई बार कहा कि सर्व सेवा संघ के नीचे के अधिकांश कार्यकर्ता आपके साथ है, हम सब लोग आपके साथ है, आप इन गांधीवादी सुविधा भोगी नेताओ का मोह छोडिये। किन्तु बंग जी हमेशा ही विश्वास दिलाते रहे कि भले ही राही जी रामजी सिंह जी आदि न समझे किन्तु देर सबेर अमरनाथ भाई कुमार प्रसान्त आदि लोक स्वराज्य की बात को समझेगे । बंग जी ने दोनो को बहुत समझाया किन्तु दोनो ही नही समझना चाहते थे। कुमार प्रसान्त लोक स्वराज्य को भी समझते थे और बंग जी को भी। किन्तु उनके मन मे मेरे प्रति कुछ कटु भाव थे। दूसरी ओर अमरनाथ भाई सबकुछ समझते हुए भी कुमार प्रसान्त को छोड नही सकते थे। लोक स्वराज्य विरोधियो ने गंगा प्रसाद अग्रवाल को ढाल बनाया । गंगा प्रसाद जी एक अत्यन्त ही सज्जन व्यक्ति थे । वे समाज निर्माण के पूरी तरह पक्षधर थे। वे बंग जी की लोक स्वराज्य की लाइन को दिल से ठीक नही मानते थे। सारे चालाक गांधीवादियो ने गंगा प्रसाद जी को ढाल बनाया और बंग जी द्वारा कई बार समझाने के बाद भी गंगा प्रसाद जी सहमत नही हुए। यहां तक कि सर्वोदय

के पदाधिकारियों ने निर्णय करके बंग जी पर सेवाग्राम आश्रम मे रहकर लोक स्वराज्य की चर्चा पर प्रतिबंध लगा दिया। यह सब विवरण समय समय पर ज्ञान तत्व मे छपता रहा है। तब हार थक कर बंग जी ने सेवाग्राम आश्रम से बाहर एक बैठक करके सितम्बर 2007 मे लोक स्वराज्य मंच की स्थापना की।

तीस जनवरी दो हजार आठ को अमरनाथभाई के नेतृत्व मे राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन देना तय हुआ और दो अक्टूबर आठ से ठाकुरदास जी बंग के आमरण अनशन की योजना बनी तो सर्वोदय समाज मे हडकंप मच गया। सुविधा भोगियो ने बंग जी को समझाया भी और धमकाया भी किन्तु बंग जी नही माने। दुर्गा प्रसाद जी, महावीर त्यागी, कृष्ण कुमार खन्ना, संतोष द्विवेदी, सहित बडी संख्या मे गांधीवादी तीस तारीख को दिल्ली मे जुट चुक थे। अमरनाथ भाई भी हमारे साथ थे ही किन्तु एकाएक किसी का फोन आया और अमरनाथ भाई ने राष्ट्रपति के पास जाने से इन्कार कर दिया। वे जंतर मंतर पर गये और भाषण भी दिये किन्तु उन्होने आंदोलन का नेतृत्व करने से इन्कार कर दिया। इस तरह लोक स्वराज्य संघर्ष के प्रयत्न की पीठ मे गांधी वादियो ने ही छुरा घोपकर एक इतिहास बना दिया। मै दिल्ली से लौट गया। बंग जी का दिल टूट गया जो कभी नही जुडा।

बाद मे सेवाग्राम मे बैठकर हम सबने समीक्षा की । मैने समीक्षा मे बताया कि बंग जी ने सुविधा भोगी वर्ग पर विश्वास करके भूल की । यदि उन्होने कुछ साथियों का मोह छोडकर जे पी का मार्ग पकडा होता तो सफलता निश्चित थी। बंग जी ने भी महसूस किया। बाद में दुर्गा प्रसाद जी को बंग जी ने यह काम सौपा किन्तु फिर यह काम खडा नही हो पाया। बंग जी का स्वास्थ लगातार बिगडता गया। मै पूरी तरह वानप्रस्थ मे चला गया। फिर भी हम दोनो के मन मे एक छटपटाहट थी कि लोक स्वराज्य के लिये संघर्ष का क्या होगा। टीम अन्ना अरविन्द की विफलता के बाद तो यह चिन्ता और भी ज्यादा बढ गई। इस कार्य के लिये नयी रणनीति नई टीम बननी आवश्यक थी। हम लोगो ने बहुत विचार करने के बाद गांधी वादी नवयुवक श्री सिद्धार्थ शर्मा को इस संघर्ष के लिये उपयुक्त माना। उन्हे इक्कीस सितम्बर दो हजार बारह को लोक स्वराज्य मंच का पूरा कार्यभार सौपकर मै मुक्त हो गया। दिसम्बर दो हजार बारह मे ही दुर्गा प्रसाद जी से बैठकर चर्चा हुई कि बंग जी का स्वास्थ्य ठीक नही है । अतः हम उन्हे अन्तिम समय मे आश्वस्त करे कि उनका मिशन उनके स्वास्थ रहते यदि नही पूरा हो सका तो इसका हम सबको खेद है किन्तु लोक स्वराज्य का कार्य बन्द नही हुआ है। अब बैगलोग के सिद्धार्थ शर्मा जी को यह कार्य हम सौप रहे है। उस दिन दुर्गा प्रसाद जी तो बीमार पडने के कारण नही पहुंच पाये किन्तु मै और सिद्धार्थ जी गये और बंग जी को आश्वस्त किया। मैने देखा कि सिद्धार्थ शर्मा जैसे परिचित गांधीवादी नवयुवक को सामने पाकर उन्हे परम संतोष का अनुभव हुआ । उन्होने विस्तृत चर्चा करते हुए शर्मा जी को आर्शीवाद दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार के लोगो ने बताया कि बंग जी हमारे वापस होने के बाद बीच बीच मे इस चर्चा को दुहराते थे।

आज बंग जी हमारे बीच नही है किन्तु उनके विचार और उनकी प्रेरणा सदैव हमारे साथ है। सुविधा भोगी गांधीवादियो से तो हमारी काई शिकायत नही है। किन्तु अमर नाथ भाई कुमार प्रसान्त जैसे मित्रो को तो उत्तर देना चाहिये कि उन्होने ऐसा क्यो किया। उनके कुछ गांधीवादी मित्रो ने भले ही उनके विचारो को न समझा हो किन्तु हम सबने तो समझा है। बंग जी के प्रति

सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर उस अधूरे कार्य को पूरा कर दिखावे जिसके लिये वे अन्त तक चिन्तित रहे। इश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे तथा उनके विचार भविष्य मे भी हम सबको प्रेरणा दे यही ईश्वर से कामना है।

पत्रोत्तर

1 श्री मती रचना दुबलिस, मेरठ उत्तर प्रदेश

विचार–हिन्दुओ के लिये इससे अधिक बुरा समय कभी नही रहा होगा कि आज अपने को हिन्दू कहने वाले ही हिन्दुओ के शत्रु बने हुए है। कहा जाता है कि इतिहास पुनरावृत्ति दोहराने के लिये प्रसिद्ध है। भारत मे पहले भी मुगलो का आक्रमण ठीक इसी प्रकार हुआ था क्योकि तत्कालीन चंद हिन्दू राजाओ ने अपन पडोसी शक्तिशाली हिन्दू राज्यो को पराजित करने के लिये विदेशी मुगल शासको की सहायता ली थी और उसका परिणाम यह हुआ कि न केवल भारत की संस्कृति सभ्यता और मर्यादा तार तार हुई बल्कि आठ सौ वर्ष भारत मुगलो का गुलाम बना रहा। जिन अंग्रेजो को भारतीय आज गाली देते है उन्ही अंग्रेजो ने भारत को मुगलो से आजाद कराया था। आज चिकित्सको , वकीलो, पत्रकारो मीडिया घरानो , फिल्मी कलाकारो , व्यापारियों और राजनीतिज्ञो की सफलता का मानक केवल मस्लिम तुष्टिकरण है जिसके पास जितन मुस्लिम समर्थक है बस वही आज सफल है। चाहे इसके लिये हिन्दुओ को सडक पर भी गाली देनी पडे तो कोइ परहेज नही। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि जो अपने धर्म, अपने कुल, अपनी जाति, का सगा न हुआ उसका भी कोई भी सगा नही होता। भारत का एक भी मुस्लिम राजनीतिक धार्मिक और सामाजिक मुस्लिम संगठन गौ, गंगा रक्षा पर्यावरण रक्षा वन्य जीव रक्षा परिवार नियोजन पल्स पोलियो राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान यहां तक कि वृक्षारोपण अभियान तक मे सक्रिय एंव सम्मिलित नही है। लेकिन सब प्रकार की सुख सुविधा मुफत मे पाने के लिये होड मची हुई है। यहा तक कि देश का अर्थ शास्त्रो पी एम खुले आम कहता है कि भारत के प्राकृतिक संसाधनो और उपभोग मे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यको का ह। हिन्दुओ को कम से कम इतिहास से ही कुछ सीख लेना चाहिये कि जो गलती पूर्वजो ने की थी कम से कम पुनरावृत्ति तो न करे।

समीक्षा– यह बात बिल्कुल सच है कि हिन्दू ही हिन्दुओ को गुमराह कर रहे है। हिन्दू हमेशा ही एक व्यक्ति रहा है। हिन्दू कर्तब्य करने के लिये अन्य हिन्दुओ के साथ मिलकर संस्था भी बना सकता है किन्तु न कोई संगठन बना सकता है न ही किसी धार्मिक संगठन का सदस्य बन सकता है। हिन्दुत्व और संगठन का कोई संबध नही हो सकता क्योकि हिन्दू कभी अधिकारो के लिये संगठित नही होता। आज हिन्दुत्व की सुरक्षा के लिये जो संगठन सक्रिय दिखते है उनका हिन्दुत्व से कोई संबंध नहीं। ऐसे तथाकथित हिन्दू ही हिन्दुत्व के शत्रु है।

हिन्दुत्व विचार प्रधान विचार धारा है। इस्लाम संगठन प्रधान इसाइयत प्रेम और सेवा प्रधान तथा साम्यवाद आतंक प्रधान माने जाते है। बुद्ध काल से ही हिन्दुत्व ने विचार प्रधान का मार्गबदला। परिणाम हुआ इस्लामिक गुलामी । हिन्दू राजाओ के आपसी झगडो के कारण भारत मे गुलामी नही आई बल्कि गुलामी का मुख्य कारण तो विचार मंथन से दूर हटना था। जो भारत पूरे

विश्व मे विचारों का निर्यात करता था वही भारत विदेशी विचारो का आयात क्यो करने लगा? इसका प्रमुख कारण था भारत की चिन्तन धारा का अवरूद्ध होना। आज भारत मे हिन्दुत्व की प्रमुख समस्या इस्लाम समर्थन तक सीमित नही है जैसा आपका कथन है। मेरे विचार मे आज की प्रमुख समस्या भारत को साम्प्रदायिक हिन्दू और साम्प्रदायिक मुसलमान मे बांटकर चिन्तन धारा से विमुख करना है। मै आज तक नही समझा कि हिन्दुत्व का लाठी डंडा सीखने से कितना संबंध है? अनेक हिन्दू संगठन तो हिन्दुओ को लाठी डंडा तक सीमित कर रहे है।

आपने लिखा कि व्यक्ति को अपने धर्म परिवार जाति के प्रति अधिक संगठित होना चाहिये। मै आपके कथन से आंशिक रूप से ही सहमत हूॅ । जहां तक धर्म का सवाल है तो पहले यह तय करना होगा कि धर्म का अर्थ गुण प्रधान है या संगठन प्रधान। उसके बाद ही उसके झुकने न झुकने का सवाल उठता है। दूसरी ओर व्यक्ति को आंशिक रूप से ही अपने परिवार जाति या देश के साथ झुकना चाहिये। किन्तु यदि उसकी सीमा टूट कर बिल्कुल ही अन्याय की दिशा मे चली जावे तो अपने परिवार जाति या देश के भीतर भी न्याय के पक्ष मे आवाज उठानी चाहिये। आज तक विभीषण को गाली देने का एक रिवाज सा चल पडा है। यह रिवाज इस्लामिक विचारो से प्रेरित है। इससे बचना चाहिये। आपने मनमोहन सिंह के एक बार के गलत कथन को आधार बनाकर शिकायत की है। मै आपकी शिकायत को ठीक मानता हूॅ । मनमोहन सिंह को यह नही कहना था। किन्तु आपने उन कथित नेताओ की चर्चा नही की जो हिन्दू राष्ट्र की खुली वकालत करते है। भारत के अनेक नेता तो हिन्दू राष्ट्र का नारा तक लगाते रहते है। भारत का धर्म के आधार पर विभाजन गलत था। फिर से धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण घातक दिशा है। भारत मे मुस्लिम संगठन गाय, गंगा पर्यावरण आबादी जैसे आवश्यक प्रयासो मे सक्रिय नही रहे। यह शिकायत उचित है। मुस्लिम संगठन इसके लिये दोषी है किन्तु भारत के अनेक हिन्दू संगठल भी पडोसी देशो से आपसी अच्छे संबंध वसुधैव कुटुम्बकम सामाजिक सदभाव जैसे प्रश्नो पर विपरीत प्रयास करते रहे जो उतना ही घातक है जितना मुस्लिम संगठनों का। पाकिस्तान हमारा पडोसी है शत्रु नही । पाकिस्तान के खिलाडियो को भारत मे खेलने से रोकना, पाकिस्तान के साहित्यकारो का भारत मे विरोध करना जैसे प्रयत्न निश्चित रूप से हमारे हिन्दुत्व के भी प्रतिकूल है तथा भारतीय व्यवस्था के लिये भी हानिकर है। मै समझता हूॅ कि हिन्दू ही हिन्दुत्व का शत्रु है इस संबंध मे मेरे विचार आपसे कुछ भिन्न होते हुए भी मै सहमत हूॅ।

कार्यालयीन प्रश्नो के उत्तर

1 प्रश्न– ज्ञान तत्व के अंक मे आपने लिखा कि सरकारी कर्मचारी राजनेताओ द्वारा की जानेवाली लूट का सहयोगी होने से चुनावो के समय अपना पूरा पूरा हिस्सा वसूल लेते है। कर्मचारिया की इतनी ताकत अवश्य होती है कि वे जिसे चाहे चुनावो मे हरा सके। इसलिये नेता लोग चुनाव के समय कर्मचारियों के समक्ष झुककर उनसे समझौता कर लेते है। किन्तु अभी अभी छत्तीसगढ मे हडताली शिक्षा कर्मियो के समक्ष प्रशासन ने न झुकते हुए उन्हे हडताल वापस लेने को मजबूर कर दिया । आप इस घटना को किस तरह देखते है।

उत्तर– आम तौर पर ऐसा पाया जाता है कि कुछ बच्चे अनावश्यक रोने का नाटक करके अन्य बच्चो की अपेक्षा मां बाप से अधिक सुविधा ले लिया करते है। किन्तु कई बार माता पिता को ऐसे बच्चो की बार बार की आदत से परेशानी अनभव होती है । वे बच्चे को डांटते है तो बच्चा और

जोर से रोता है या तोड फोड शुरू कर देता है। किन्तु यदि बच्चे को जोर से एक तमाचा दे दिय जाय और उसे विश्वास हो जावे कि और रोते ही दूसरा तमाचा और जोर से संभ्सव है तो बच्चा बिल्कुल चुप हो जाता है। यही हाल छ0गढ के शिक्षा कर्मियो का हुआ। वे हडताल के नियमों का भूल गये। हडताल करने वाले कर्मचारी अपनी मांगे बढा चढा कर पेश करते है तथा शक्ति प्रदर्शन के बाद झुककर समझौता भी कर लेते है। ये लोग हडताल करने के पूर्व ही राजनेताओ से भी चर्चा करते रहते है और कभी हडताल को निर्णायक टकराव मे नही बदलने देते । शिक्षा कर्मी नये नये कर्मचारी थे । उन्होने तो सोचा भी नही था कि जोर का तमाचा भी लग सकता है। सडको पर नारे लगाना अलग बात है और अपनी शक्ति का आकलन अलग बात । वे भूल गये कि वे एक नाटक मात्र कर रहे है। वे वास्तविक टकराव की सीमा तक चले गये जिसका परिणाम उन्हे भुगतना पडा।

छत्तीसगढ प्रशासन ने पूरे भारत की लीक से हटकर हिम्मत दिखाई । कर्मचारी मानते थे कि प्रशासन झुकेगा ही किन्तु छत्तीसगढ सरकार ने जब अनुभव किया कि पानी सर के उपर जा रहा है तो सरकार ने मजबूत कदम उठाये । सरकार ने चालाकी भी दिखाई । उसने एक ओर तो झुकने का नाटक किया तो दूसरी ओर कुछ कर्मचारियों के माध्यम से आंदोलनकारियों को अधिक कडा होने की भी प्रेरणा दी। कर्मचारी नये थे और दांव पेंच नही जानते थे। वे कडे होते चले गये जिससे सरकार को कठोर कदम उठाने मे सुविधा हुई। इसके पूर्व चरण सिंह जी का इतिहास रहा है कि उन्होने यू पी मे कर्मचारियो का ऐसा मनोबल तोडा था कि अब तक चरण सिंह याद किये जाते है। रमण सिंह ने भी कुछ कुछ वैसा ही संदेश दिया है। रमण सिंह इसके लिये बधाई के पात्र है। साथ ही यह भी आभाष होता है कि रमण सिंह बहुत चालाक भी है। उन्होने कर्मचारियो को संदेश भी दे दिया और समझौता भी कर लिया। सही बात है कि रमण सिंह बहुल चालाक है।

2 प्रश्न–आपने नरेन्द्र मोदी को तानाशह भी लिखा और योग्य भी। आपके विचार मे कांग्रेस और भाजपा मे क्या अंतर है।

उत्तर– कांग्रेस पार्टी के पास केन्द्रीय नेतृत्व सूझबूझ वाला है और प्रदेशो मे कमजोर । भाजपा मे प्रादेशिक नेतृत्व सूझबूझ वाला है और केन्द्र का योजना विहीन। कांग्रेस पार्टी योजना बनाकर कार्यक्रमो की पहल करती है ओर भाजपा ऐसी पहल का या तो विरोध करेगी या नकल। भाजपा के पास केन्द्र मे कोई पहल करने का कार्यक्रम नही है। कांग्रेस पार्टी के आंतरिक ढांचे मे पूरी तरह तानाशाही है जो एक परिवार की ही बपौती है और रहेगी किन्तु प्रशासनिक नीतियां विकेन्द्रीयकरण की दिशा मे झुकी हुई है। भाजपा के आन्तरिक ढांचे मे पूरा पूरा लोकतंत्र है किन्तु प्रशासनिक नीतियां केन्द्रीयकरण की दिशा मे झुकी हुई है। कांग्रेस नीतियों को महत्व देती है चरित्र को नही। भाजपा चरित्र को महत्व देती है, नीतियां तो उसके पास है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी की समस्या भी परिवारवाद है और समाधान भी। तो भाजपा की समस्या भी संध ही है और समाधान भी। यदि कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह को बदनाम करने का षडयंत्र न किया होता तो मनमोहन सिंह बहुत सफल प्रधानमंत्री सिद्ध होते। दूसरी ओर यदि संघ भाजपा को अधिक स्वतंत्रता देता तो भाजपा अब तक बालिग राजनैतिक दल बन गयी होती।

जब भी समाज मे अव्यवस्था फैलती है तब समाधान के दो ही मार्ग है। 1 तानाशाही 2 लोक स्वराज्य । नरेन्द्र मोदी तानाशाही के मार्ग से समाधान करने की क्षमता रखते है और मनमोहन सिंह

आंशिक रूप से लोक स्वराज्य के मार्ग से। लोकतंत्र अव्यवस्था का विस्तार हो करता है समाधान नही। दोनो मे अंतर यह है कि मोदी प्रणाली मे प्रधान मंत्री समस्याओ का समाधान करता भी ह, करता हुआ दिखता भी ह। सफलता असफलता का श्रेय या बदनामी भी उसे ही मिलती है। उसके कार्यकाल मे अन्य लोकतांत्रिक समस्याये अपनी पहचान खो देती है। ऐसे तानाशाह के रहते तक उसकी पूजा होती है और जाने के बाद सद्दाम या गद्दाफी सरीख गालियां भी मिलती है। दूसरी ओर मनमोहन सिंह प्रणालो मे समाधान सिस्टम से होता है व्यक्ति से नही । समाधान होता हुआ दिखता है किन्तु कर्ता नही दिखता । श्रेय प्रधानमंत्री को नही मिलता। कार्यकाल मे प्रशंसा भी नही मिलती किन्तु जाने के बहुत बाद प्रशंसा मिलती है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार मनमोहन सिंह तरीके से भी समस्याओ का समाधान हुआ और मोदी तरीके से भी । मोदी विरोधी मोदी से परास्त हुए और मनमोहन सिंह सोनिया जी से परास्त हए। अब देश राहुल गांधी और नरेन्द्र मोदी के बीच किसी एक का चुनाव करने की ओर मजबूर है। भारत सदा से व्यक्ति पूजक देश रहा है। नरेन्द्र मोदी की भी संभावनाए है। क्या होगा यह स्पष्ट नहीं वैसे मेरे विचार मे चाहे कितना भी बुरा क्यो न हो किन्तु सोनिया जी की पारिवारिक ठेकेदारी तो टूटनी ही चाहिये।

3 प्रश्न– आप लिखते समय इस्लाम और साम्यवाद के साथ ही साथ संघ परिवार को भी जोड देते है जबकि संघ परिवार मे कट्टर हिन्दुत्व की छवि भी है और गुण भी। संघ के लिये आप ऐसा क्यो लिखते है?

उत्तर– प्रश्न गुणो का है नाम का नही। संध परिवार जन्म से हिन्दू है कर्म से भी नही और गुणो से भी नहीं। हिन्दू, जैन, बौद्ध, आर्यसमाजी आदि एक प्रकार के माने जाते है और संघ, शिवसेना, इस्लाम साम्यवाद सिख आदि दूसरे प्रकार के । पहले प्रकार के लोग संगठन नही बनाते, संस्था बनाते है। दूसरे प्रकार के लोग कभी संस्था नही बनाते, संगठन बनाते है। पहले प्रकार के लोग कर्तव्य की चिन्ता करते है अधिकार की चिन्ता नही करते। दूसरे प्रकार के लेाग अधिकार की चिन्ता करते है, कर्तव्य की नही करते। पहले प्रकार के लोग राज्य सत्ता निरपेक्ष होते है। दूसरे प्रकार के लोग सत्ता मे अपना हस्तक्षेप रखने का जी तोड प्रयास करते है। पहले प्रकार के लोग आमतौर पर विकेन्द्रित सत्ता के प्रशंसक होते है, दूसरे प्रकार के लोग केन्द्रित सत्ता के पक्षधर होते है। पहले प्रकार के लोग हिंसा को अन्तिम शस्त्र मानते है जबकि दूसरे प्रकार के लोग हिंसा को पहला शस्त्र मानते है। यदि सिख, संघ, शिवसेना, इस्लाम, साम्यवाद आदि के सभी गुणो मे समानता है तो केवल जन्म से हिन्दू होना उनके गुणात्मक पहचान का आधार नही बन सकती। आज मुसलमान पुरी दुनियां मे संदेह की नजरो से देखा जा रहा है। संघ परिवार भी यदि उन्ही नजरो से देखा जावे तो इसमे गलत क्या है? या तो संघ हिन्दुओ के गुणो के साथ तालमेल करे अन्यथा इस्लाम और साम्यवादियों के साथ गिना जाय इसमे कुछ भी गलत नहीं।

शत्रु के साथ छल कपट धोखा झूठ की छूट है किन्तु अपना के साथ झ्ठ छल कपट किया जाय तो वह संघ परिवार के लिये हिन्दुत्व हो सकता है किन्तु वास्तव मे हिन्दुत्व है नहो। संध परिवार यह असत्य बार बार क्यो फैलाता है कि वह तो मात्र सांस्कृतिक संगठन है और राजनीति से उसका कोई संबंध नही। क्या भारत का एक अन्धा हिन्दू भी नही देख रहा कि संघ झुठ बोल रहा है? संध राजनीति करे इसमे गलत क्या है किन्तु गलत यह है कि वह दिन रात जाल फरेब करे और वह भी अपना से । स्वतंत्रता के पूर्व आर्य समाज संघ की अपेक्षा कई गुना ज्यादा

स्वतंत्रता सघर्ष मे रहा किन्तु स्वतंत्रता के बाद आर्य समाज राजनीति से दूर होता गया। आर्य समाज के तथा कथित अध्ययक्ष स्वामी अग्निवेष के वैसे ही राजनैतिक घालमेल के कारण आर्य समाज मे कितना सम्मान है वह सर्व विदित है । दूसरी ओर स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही संघ की राजनीति मे दिलचस्पी भी किसी से छिपी नही है। अब भी समय है कि संध एक तरफ हो जावे । यदि हिन्दू रहना है तो छल कपट राजनीति छोडना आवश्यक है। कोई किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति राजनीति कर सकता है किन्तु यदि कोई धार्मिक संगठन राजनीति करे यह ठीक नही।

उत्तरार्ध

व्यवस्था परिवर्तन अभियान

दुनियां की वर्तमान राजनैतिक (अ) व्यवस्था के विकल्प की भारत से शुरूआत

1 संरक्षक–श्री बजरंग मुनि, बनारस चौक अम्बिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ 497001, फोन न0–9617079344

2 राष्ट्रीय अध्यक्ष – श्री अशोक कुमार गदिया 4सी बसुन्धरा गाजियाबाद उ0 प्र0 फोन न0–9891029293

3 महा सचिव– श्री प्रवीण शर्मा सी–220,से0–19,नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0 प्र0, 9212605989

4 कार्यालय– बनारस चौक, अम्बिकापुर सरगुजा छ0गढ0 497001 फोन न0–9575566074

5 आवश्यकता– भारत की वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था द्वारा समाज के वोट देने के अलावा सारे अधिकार अपने पास समेट कर समाज को

गुलाम बनाकर रखने का प्रयास। राजनैतिक व्यवस्था की नीतियों के साथ साथ नीयत भी खराब। आवश्यकता है कि राज्य,

व्यक्ति, परिवार और समाज के न्यूनतमम और अधिकतम अधिकारो की सीमाओं का पुनर्विभाजन हो। व्यवस्था परिवर्तन

अभियान ऐसी सीमा निर्धारण हेतु सामाजिक राजनैतिक प्रयास करेगा।

6 सहभागी संस्थाएं –1 ज्ञान क्रान्ति परिवार

क– राष्ट्रीय अध्यक्ष –रामकृष्ण पौराणिक 10/8 अलखनंदा नगर विरला अस्तपताल क पास उज्जैन म0प्र0–456010

फोन न0–7366238450, ,9406626456

ख– राष्ट्रीय सचिव– श्री पुष्पेन्द्र रावत, कार्यालय अम्बिकापुर 9926580350

ग–कार्य – विश्व मे और विशेष कर भारत मे संगठित गिरोहों द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था अपने हाथ म लेकर या मिल जुल

कर समाज मे ऐसा प्रचार फैलाया है कि अनेक असत्य धारणाएं सत्य के समान दिखने लगी है। ऐसी असत्य

धारणाओ को चुनौती देकर सत्य धारणाओं को सशक्त करने का प्रयास

घ माध्यम– ज्ञान तत्व पाक्षिक पत्रिका, काश इंडिया डांट काम वेवसाइट , फेस बुक , रिलाइंस बिग टी वी के चार सौ

पचीस नम्बर ए टू जेड चैनल मे माह मे पंद्रह दिन शाम आठ बजे विचार मंथन, समय समय पर प्रत्यक्ष विचार

मंथन शिविर

2. नयी समाज रचना

क–संरक्षक– श्री अविनाश चंद सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट वाराणसी, 221001 फोन न0– 9454220239

श्री राकेश शुक्ल, द्वारा–डा0 एस के0 हिशीकर बोरसी भाटा दुर्ग छत्तीसगढ फोन न0–9827162311

ख अध्यक्ष– राम राज गुप्ता, ग्राम–भवानीपुर पो0–तातापानी, जिला रामानुजगंज बलरामपुर छत्तीसगढ फोन 0–8889347324

ग सचिव–रामसेवक गुप्ता शिक्षक, वार्ड न0 –2 रामानुजगंज छ0ग0497220 फोन न0–982617509

घ संगठन सचिव– नरेन्द्र सिंह जी कार्यालय अम्बिकापुर 7389890738

च कार्य– बलरामपुर, रामानुजगंज जिले के आस पास के एक सौ तीस गांवो मे ग्राम सभा सशक्तिकरण को आधार बनाकर

नई समाज रचना का माडल। प्रारंभिक चार कार्य 1. लोक और तंत्र की दूरी घटे 2. वर्ग विद्वेष वर्ग समन्वय मे

बदले। 3. अहिंसा के प्रति विश्वास बढे 4 भ्रष्टाचार मुक्त सरपंच सचिव हो। दो हजार बारह के एक वर्ष मे

लगभग पचीस तीस प्रतिशत सफलता । आगे प्रयत्न जारी।

3 ज्ञान केन्द्र

क अध्यक्ष – आचार्य पंकज जी नेपाली क्षेत्र लक्ष्मण झूला रोड़ ऋषिकेश 249201 उतराखण्ड फोन न0– 9219617434

ख सचिव – श्री कृष्ण चंद्र सहाय जी कार्यालय अम्बिकापुर

ग कार्य–1 ज्ञान केन्द्र मे बजरंग मुनि जी द्वारा निकाले गये निष्कर्षो पर शोध करना

2 केन्द्र मे न्यूनतम पांच छोटे बच्चो को सारी सुविधाएं देकर उन्हे योग्यता के साथ साथ स्वतंत्र सामाजिक चिन्तन

की क्षमता एंव रूचि जागृत करना।

4 व्यवस्था परिवर्तन ट्रस्ट

क अध्यक्ष– कन्हैया लाल अग्रवाल पीपल चौक रामानुजगंज 497220 छ.ग. 9685780880

ख सचिव– प्रताप राम गुप्ता मेन बाजार रामानुजगंज 497220 छ0गढ

ग कार्य– 1. रामानुजगंज मे एक ज्ञान केन्द्र भवन का निर्माण एंव व्यवस्था

2. ज्ञान केन्द्र भवन मे एक धमशाला का संचालन जो न लाभ न हानि के आधार पर चले।

3 भवन मे ज्ञान मंदिर विद्यालय का संचालन जो न लाभ न हानि के आधार पर चले।

4 भवन मे ज्ञान केन्द्र का संचालन

5 ट्रस्ट की आय मे से 1 ज्ञान क्रान्ति परिवार 2.नयी समाज रचना तथा 3 ज्ञान केन्द्र 4 लोक स्वराज्य मंच को

आर्थिक सहायता।

7 सहभागी संगठन– लोक स्वराज्य मंच

क राष्ट्रीय अध्यक्ष –सिध्दार्थ शर्मा 19 बल्लभ निकेतन इस्ट कुमारप्पा पार्क बंगलौर 560001 फोन न0–9632149431

ख संगठन सचिव– श्री रमेश चौबे कार्यालय अम्बिकापुर फोन न0–8435023029

ग कार्य – 1 भारत के प्रस्तावित संविधान पर देश भर मे जनमत जागरण

2 लोक संसद को तात्कालिक मांग के रूप मे रखकर राजनैतिक टकराव की दिशा मे संगठन खडा करना।

8 अर्थ व्यवस्था– 1 सभी संगठन अपने अपने खर्च की व्यवस्था स्वयं करेंगे।

2 व्यवस्था परिवर्तन अभियान के तीन प्रकार के सदस्य होगे।

क. सहायक सदस्य–शुल्क वार्षिक एक सौ रूपया या आजीवन एक हजार रूपया

ख संरक्षक सदस्य– शुल्क वार्षिक एक हजार रूपया या आजीवन दस हजार रूपया

ग ट्रस्टी सदस्य– शुल्क वार्षिक दस हजार या आजीवन एक लाख

सदस्यता शुल्क का वितरण तीन प्रकार से होगा।

3 क सहायक सदस्यो से प्राप्त धन ज्ञान क्रान्ति अभियान को को प्राप्त हो जायगा।

ख संरक्षक सदस्यो से प्राप्त सारा धन 1 ज्ञान क्रान्ति परिवार 2 नई समाज रचना , 3 ज्ञान केन्द्र तथा 4 लोक स्वराज्य मंच को बराबर बराबर बंट जायगा।

ग ट्रस्टी सदस्यो का पूरा धन ट्रस्ट के पास जमा हो जायगा।

ज्ञान तत्व के दान दाताओ की सूची

सियराम साहू बालौदा छ0गढ–100

श्री मलिक सेन पाटील जलगांव महा0–100

जगत पाल विष्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश –500

शंकर लाल जांगिड जयपुर राजस्थान –400

कुशलपाल पाल सिह सिसौदिया शहादरा दिल्ली –500

कुवर जय सिंह कुलगांव कानपुर उत्तर प्रदेश –500

पंकज गोयल एण्ड पत्नी नोएडा उत्तर प्रदेश –20000

छवील सिंह सिसौदिया पिलखुआ गाजियाबाद उ0प्र0–500

मनमोहन सिंह राणा शिमला हिमाचल– 500

रमेश चंद्र जोशी इंदिरा नगर उज्जैन – 1000

नेत राम शेरगढ जोधपुर राजस्थान–100
वृज विहारी लाल जायसवाल कानपुर उ0प्र0–100
ओ पी नामदेव उज्जैन म0प्र0–100
एम एल गुप्ता सोलन हिमाचल प्रदेश– 100
विष्णु ताम्रकर धमधा दुर्ग छ0गढ– 100
भुवनेष्वर ताम्रकर समोदा दुर्ग छ0गढ– 100
व्संत राव भगत नागपुर महा0–100
श्री मति प्रमिला राउत नागपुर महा0–100
गंगा प्रसाद गुप्ता छत्तर पुर म0प्र0–1800
सिद्धार्थ शर्मा बैगलोर –500
अजय भाई प्रेरणा गाजियाबाद उ0 प्र0–500
अलख राम भाई बोरसी दुर्ग छ0ग0– 500
धर्मविर शास्त्री पुरैनी विजनौर उ0प्र0– 100
वैधराज आहुआ भानुप्रतापपुर छ0ग0–2000
जी आर यादव जयपुर राजस्थान–500
पन्ना लाल जी अग्रवाल–बरियो छ0ग0–100
श्री सूद साहिब मंडी हिमाचल –1000
राम निवास सिह राठौर पीलिभित उ0प्र0–100
सोमकांत शर्मा दुर्ग छ0ग0–250
किशन चंद्र आर्य दिल्ली–200
प्रो0 एस पी अग्रवाल मुजप्फर नगर उ0प्र0–500
धूर्व सिंह चंदेल पालमपुर कांगडा हिमाचल प्रदेश –100
एम एल गर्ग कमला नगर आगरा उ0प्र0–100
प्रोफेसर एस पी अग्रवाल, एस डी डिग्री कालेज, मुजप्फर नगर, उत्तर प्रदेश–500 रूपया
संजय कुमार रसतोगी, किशन ज्वेलर्स, मेरठ उ.प्र.250001– 1000 रूपया
विजय गोयल मे0 अचारजान निकट–मिलायस टावर बिजनौर उ0प्र0, –500 रूपया

नोट–ये दान राशी सितम्बर 2012 से इक्तीस जनवरी 2013 तक की है। जिन दान दाताओ के नाम अगर भूल चुक से छूट गये हो तो कृपया सुचित करे।